

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./एफ-275/1/सा.प्र.वि./विविध/19/1737

भिलाई, दिनांक 4/11/19

आदेश

छ.ग. कार्यभारित/आकस्मिक मद से वेतन पाने वाले कर्मचारी को भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 1975 के नियम 4 (2) एवं नियम 6 (2) के अनुसार तथा निकाय स्तर पर गठित छानबीन समिति की बैठक दिनांक 25.11.2019 में की गई अनुशंसा अनुसार नगर पालिक निगम, भिलाई में कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारी को आकस्मिक मद तिथि में नियुक्ति दिनांक से 05 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा का सदस्य एवं 10 वर्ष पूर्ण होने पर स्थायी सेवा का सदस्य कॉलम 05 एवं 6 में उल्लेखित तिथि से घोषित किया जाता है :-

क्रं.	कर्मचारी का नाम	प्रथम नियुक्ति तिथि आ.मद. /पदनाम	वेतनमान	05 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा का सदस्य घोषित होने की तिथि	10 वर्ष पूर्ण होने पर स्थायी सेवा का सदस्य घोषित होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री संतराम निषाद (सेवानि. 31.10.18)	21/01/1997 आ.मद. चैनमेन	4750-7440 +1300 ग्रेडपें मैट्रिक्स लेवल-01 (15600-49400 तक)	21/01/2002	21/01/2007

छ.ग. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5367/4824/ 10/18 रायपुर दिनांक 01.10.10 द्वारा कार्यभारित एवं आकस्मिकता सेवा के कर्मचारियों हेतु क्रमोन्नति योजना बाबत सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-10-1/07/ 1-3/दिनांक 11 जून 2007 में दिये गये निर्देशानुसार एवं नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने लिखा गया है ।

छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 16.11.07 के पैरा 03 में उल्लेख है कि कार्यभारित/आकस्मिक निधि सेवा के कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों के सामान्य 12/24 वर्ष के आधार पर क्रमोन्नति योजना का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञापनों में निहित शर्तों के अध्याधीन दिया जाये। 12/24 वर्ष की सेवा की गणना कार्यभारित तथा आकस्मिकता सेवा के नियमित स्थापना में सदस्यता प्राप्त करने की तिथि से की जावेगी ।

उपरोक्तानुसार नियमित एवं कार्यभारित स्थापना दोनों स्थापना के कर्मचारियों को क्रमोन्नति योजना का लाभ देने हेतु शासन के उक्त निर्देश के परिपालन में निकाय स्तर पर गठित छानबीन समिति की बैठक दिनांक 25.11.2019 में की गई अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित कर्मचारी कार्यभारित/आकस्मिक मद सेवा में नियुक्ति दिनांक से निरंतर कार्यरत है। अतः इन कर्मचारियों के कार्यभारित/आकस्मिक मद स्थापना के सदस्यता प्राप्त करने की तिथि एवं नियमित दोनों सेवा अवधि को क्रमोन्नति के लिए गणना हेतु विचार करते हुए 17 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के समक्ष कॉलम 08 में दर्शित देय प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

क्रमश.....

C:\Users\Sthapna2\Desktop\order 03-+122-2019.docx

“प्लास्टिक का उपयोग छोड़ो पर्यावरण से नाता जोड़ो”

कं.	कर्मचारी का नाम	प्रथम नियुक्ति तिथि/पदनाम / आकस्मिक निधि	वेतनमान	नियमित पदनाम/ नियुक्ति तिथि	नियमित/ वर्तमान वेतनमान	का.भा. /आक.मिद सेवा 17 वर्ष पूर्ण होने की पात्रता तिथि	सेवा 17 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से देय क्रमोन्नत वेतनमान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री संतराम निषाद (सेवानि. 31.10.18)	21/01/1997 आ.मद. चैनमेन	4750-7440 +1300 ग्रेडपें मैट्रिक्स लेवल-01 (15600-49400 तक)	चैनमेन 22/09/2008	4750-7440 +1300 ग्रेडपें मैट्रिक्स लेवल-01 (15600-49400 तक)	21.01.2014	4750-7440 +1400 ग्रेडपें मैट्रिक्स लेवल-02 (16100-50900 तक)

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

उपायुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 21/12/19

पृ.क्र./एफ-275/1/सा.प्र.वि./विविध/19/1738
प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. उप संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा, राजनांदगांव को सूचनार्थ।
5. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. प्रोग्रामर डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईड में अपलोड हेतु।
7. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. संबंधित श्री संतराम निषाद सेवानिवृत्त चैनमेन, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

उपायुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई